केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60105 दिनांक: 23.07.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50487

अपीलकर्ता : **श्री राजपाल**

निर्णय की तारीख: 23.07.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/A/2019/60105 केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दो शिकायतों (डायरी सं. 195237 दिनांक 29.12.2016 एवं डायरी सं. 106518 दिनांक 13.02.2019) पर की गई कार्यवाही से संबंधित दो सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि **"क्या ऐसा संभव है कि दो बारी शिकायत तथा ईमेल की जाए तथा दोनों बारी फाइल न मिले ?**

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना को अपीलकर्ता ठीक से समझ नहीं सके हैं, प्रदान की गई सूचना में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने कहीं भी नहीं लिखा है कि फाइल नहीं है । जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि – "there is no information available in the file about your complaints registered vide Dy. No. 195237 and 106518". जिसका मतलब है - डायरी सं. 195237 एवं 106518 के तहत दर्ज आपकी शिकायत से संबंधित कोई सूचना फाइल में उपलब्ध नहीं है । **श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा फाइल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सूचना दे दी गई है, आगे इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।